रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231151 CG-DL-E-15112021-231151

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4377] No. 4377] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4743(अ).—राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अधिनियम, 2008 (2008 का 34) पिठत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधित) अधिनियम, 2019 (2019 का 16) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 2151 (अ.) दिनांक 1 सितंबर, 2010, के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए कार्यों के संबंध में, एतदद्वारा अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए ASJ (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीष) (XXIV), भोपाल, के न्यायालय को विशेष न्यायालय, एनआईए, के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा।

[फा. सं. 11011/02/2019/एनआईए]

प्रवीण वशिष्ठ. अपर सचिव

6603 GI/2021 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2021

- **S.O.** 4743(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, (34 of 2008) read with the National Investigation Agency (Amendment) Act, 2019, (No. 16 of 2019), and in supersession of notification number S.O. 2151 (E), dated 1st September, 2010, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies the Court of XXIV ASJ (Additional Session Judge), Bhopal, as the Special Court for the purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.
- 2. The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Madhya Pradesh.

[F. No. 11011/02/2019/NIA]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.